राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ.1(1)( )/मअ/स्था/2019/19229 जयपुर, दिनांकः 06/07/2021

1. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक/
   संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता,
   जिला ....

विषयः–समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण का स्वयं के एसओं–आईडी से राज–काज सॉफ्टवेयर पर ऑन–लाईन स्वयं समस्त कर्मचारियों द्वारा समय सीमा में भरे जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.06.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। उक्त परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण 01.01.2021 एवं इसके पश्चात्वर्ती वर्षो की अचल सम्पत्ति का विवरण ऑनलाईन किये जाने का निर्णय लिया गया है। सभी राजकीय कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2020 के लिए (01 जनवरी 2021 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पत्ति विवरण 01 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आवश्यक रूप से भरे जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत् राज्य में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन किया जायेगा।

जिन कर्मचारियों द्वारा उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की जावेगीं उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वार्षिक वेतन वृद्धि व विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जायेगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी सस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होगें।

अतः समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन जिले में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पत्ति अपनी एसएसओ–आईडी से राज–काज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन स्वयं समस्त कर्मचारियों द्वारा समय सीमा भरने हेतु पाबंद करना एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. आभा जैन)
अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

क्रमांकः एफ.1(1)( )/मअ/स्था/2019/19230-234 जयपुर, दिनांकः 06/07/2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.